



श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शांति धारीवाल
मंत्री, व्यावरण शासन,
नामित विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार

राजस्थान आवासन मण्डल

“ MAHI APARTMENT (2B+S+13) ”

सेक्टर-23, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना वर्ष-2023

मध्यम आय वर्ग-ब के फ्लैट

RERA REGISTRATION No. : RAJ/P/2023/2390

RERA Address : 2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
RERA Website : <http://rera.rajasthan.gov.in/>

आवेदन | 01.03.2023 से
अवधि | 31.03.2023 तक



‘मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना’

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं / वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।



राजस्थान आवासन मण्डल

सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "MAHI APARTMENT" मध्यम आयवर्ग-ब के बहुमंजिले

(2B+S+13) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम

- | | |
|---|------------------------|
| 1. ऑनलाईन आवेदन—पत्र उपलब्ध | : दिनांक 01.03.2023 से |
| 2. ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | : दिनांक 31.03.2023 तक |
| 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | |
| 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | |
| 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | |
| 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान | |

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट
www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बारह, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 11, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन नं. 0141 — 2790270 मो. नं. :— 9829180301	उप आवासन आयुक्त, वृत्-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर फोन : 0141 — 2791320 मो. नं. :— 9983993868	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 — 2741950 मो. नं. :— 9983309410
--	---	---

विशेष :-

- आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/- पंजीकृत राशि में समिलित कर सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / क्रेडिट/डेबिट कार्ड के मार्फत जमा करवाया जा सकता है या चालान प्रिन्ट कर AXIS BANK के खाता संख्या 923020005265235 आई.एफ.एस.सी. कोड UTIB0000626 में किसी भी बैंक से जमा करवा सकते हैं।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः

यह सुनिश्चित कर लें कि :-

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न हैं :-

- i. आय संबंधी प्रमाण (ITR अथवा वेतन स्लिप अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)।
- ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
- iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
- iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली / पानी / टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्वहस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति।
- v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।



राजस्थान आवासन मण्डल

सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "MAHI APARTMENT" मध्यम आयवर्ग-ब के बहुमंजिले
(2B+S+13) फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु

योजना की प्रस्तावना:-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में राजस्थान आवासन मण्डल की सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में 'केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी, बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सैक्टर में कार्यरत कर्मचारी हेतु बहुमंजिलीय आवासीय योजना "स्व वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है। जिसमें मध्यम आयवर्ग 'ब' के 325 बहुमंजिले फ्लैट्स (2B+S+13) हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता आवासन मण्डल की website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर login कर आवेदन शुल्क राशि कुल रूपये 354/- (पंजीकरण राशि रूपये 300/- + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि) ऑनलाईन जमा करवा कर आवेदन कर सकता है। इस योजना में यथासम्भव सभी मूलभूत सुविधाएँ जैसे पानी, बिजली, सीवरेज, पार्किंग, लिफ्ट, फायर फायटिंग सिस्टम, रेनवाटर हार्डस्टिंग, लैण्ड स्केपिंग, बैंकवेट हाल, जिम, एल.ई.डी. लाईट्स, सुरक्षा गार्ड इत्यादि प्रस्तावित हैं।

इस योजना के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 9537.50 वर्ग मीटर है। जिसमें मध्यम आयवर्ग—ब के 325बहुमंजिले (2B+S+13) फ्लैट्स निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

तालिका—1

फ्लैट्स का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :—

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय	अनुमानित संख्या	फ्लैट का बिल्ट—अप क्षेत्रफल	फ्लैट का सुपर बिल्ट—अप क्षेत्रफल	अनुमानित लागत (रुपये लाख)
1.	मध्यम आय वर्ग—ब	1200001.00 to 1800000.00	325	94.32 व.मी. (1015 व.फुट)	117.16 व.मी. (1260.64 व.फुट)	44.00

- नोट :** (i) फ्लैटों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में फ्लैटों की केवल अनुमानित लागत बताई गई है जो कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रतापनगर योजना जयपुर की वर्ष 2022–23 हेतु दिनांक 30.06.2023 तक निर्धारित भूमि एवं विकास दर पर आधारित है। भवन निर्माण सामग्री मुख्यतः सीमेन्ट, स्टील तथा अन्य निर्माण सामग्री की बाजार दरों में काफी उत्तार—चढ़ाव आ रहा है इसके कारण फ्लैट्स की वर्तमान में वास्तविक लागत का अनुमान लगाया जाना कठिन है। चूंकि मण्डल आवासो/फ्लैट्स का आवंटन “बिना लाभ बिना हानि सिद्धांत” के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा फ्लैट आवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप / विवाद मान्य नहीं होगा।
- (iii) बेसमेंट पार्किंग /स्टिल्ट पार्किंग /ओपन पार्किंग का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। जिन आवंटियों को बेसमेंट/स्टिल्ट पार्किंग आवंटित होगी उन्हें फ्लैट की लागत की 5 प्रतिशत राशि अलग से जमा करानी होगी तथा जिन आवंटियों को ओपन पार्किंग आवंटित होगी उन्हें फ्लैट की लागत की 2.5 प्रतिशत राशि अलग से जमा करानी होगी। इस राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर दिया जायेगा।
- (iv) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा समिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क पानी, बिजली के खर्च, स्ट्रीट लाइट, रेन—वाटर हार्डस्टिंग, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एक मुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर, पृथक से रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के खाते में जमा कराया जायेगा। उक्त राशि का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। रख—रखाव हेतु गठित सोसायटी का प्रारंभिक रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा तथा आवासीय अभियन्ता द्वारा मीटिंग बुलाकर कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटी कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत किए जायेंगे। संबंधित आवासीय अभियन्ता (कार्यवाहक अध्यक्ष) द्वारा

सोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संभावित 6 माह के रख—रखाव के खर्च के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए एफ.डी.आर. बनवाई जाएगी। आवासीय अभियन्ता द्वारा इस मद में प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख—रखाव पर किए जाने वाले व्यय का उचित एवं पारदर्शी लेखा—जोखा रखा जाएगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :—

यह आवासीय योजना सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :—

1.	एन.आर.आई. कॉलोनी	0.5 कि.मी.
2.	सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र	1.0 कि.मी.
3.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	2.5 कि.मी.
4.	जगतपुरा रेलवे स्टेशन	3.0 कि.मी.
5.	जवाहर सर्किल	5.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें :—

फ्लैटों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के निम्नानुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है, तो भी वह इस योजना में आवास आवंटन का पात्र होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं अविवाहित वयस्क बच्चे पुत्र व पुत्री भी स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
4. आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर हैं तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल ने आवेदन की तिथि तक आवास/फ्लैट का आवंटन नहीं किया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निधौरित वरीयता के आधार पर आवास/फ्लैट आवंटन में निम्नानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

- प्रतापनगर योजना, सांगानेर जयपुर – प्रथम वरीयता
- मानसरोवर योजना, जयपुर – द्वितीय वरीयता
- इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर – तृतीय वरीयता
- नवीन प्रजीकरण – चतुर्थ वरीयता

इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास/फ्लैट आवंटित किया गया है।

7. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदकों को तृतीय वरीयता दी जायेगी। वरीयता वर्षवार/श्रेणीवार निर्धारित की जाएगी।
8. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:—

तालिका—2

क्र.सं	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग	
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग 5%	निराश्रित एवं भूमिहीन (G- 11) एकल महिला		
1	जी-1	(i)	(अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/प्राईवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवाएं (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
		(ii)	(अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षाबल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल/केन्द्रीय रिजवट पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/बीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	जी-2	(i)	सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एड्वोकेट, चार्ट्ड एकाउण्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	जी-3		मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00
4	जी-4		अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	जी-5		अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	जी-6		वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	जी-7		स्वतंत्रता सेनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	जी-8		अधिस्थीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	जी-10		वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	जी-12		परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00

9. इस योजना में तालिका—1 में दर्शाए गए फ्लैट्स हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है:—

तालिका—3

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (फ्लेट की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत) (रुपये में)	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	मध्यम आयवर्ग ‘ब’	1200001 से 1800000 तक	Rs.440000.00+ 1% GST = Rs.444400.00	Rs 300.00 + 18% GST = Rs.354.00	Rs 1500.00 + 18% GST = Rs.1770.00	Rs. 446524.00

- नोट— (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
 (ii) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिकों को निर्धारित पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।
11. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:—
- (अ) स्वयं के लिए —
1. वेतन
 2. विशेष वेतन
 3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
 4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
 5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
 6. विनियोग से ब्याज
 7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।
- (ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।
 (स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।
 (द) विभाग का वेतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।
12. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के

दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 1500+18 प्रतिशत जी.एस.टी.= रु0 1770/- राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।

14. प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध फ्लेट्स की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जायेगी। वरीयता निर्धारण के पश्चात् असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
15. इस योजना के अन्तर्गत सभी फ्लेटों का निर्माण ‘स्ववित्त पोषित योजना’ के तहत किया जावेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों को मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर अनुमानित लागत अनुसार आरक्षण पत्र जारी करते हुए आरक्षण पत्र की निम्नानुसार राशि निर्धारित समयावधि में जमा करानी होगी।

तालिका—4

क्र.सं.	आवास का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र के अनुसार जमा कराने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	मध्यम आयवर्ग—ब बहुमंजिले फ्लैट्स (2B+S+13)	प्रथम किश्त	1 माह	15 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	15 %
		तृतीय किश्त	7 माह	15 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	15 %
		पंचम किश्त	13 माह	10 %
		षष्ठम किश्त	16 माह	10 %
		सप्तम किश्त	19 माह	10 %

आरक्षण पत्र के अनुसार जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः फ्लैटों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में फ्लैटों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत फ्लेट्स का निर्माण कार्य “डिपोजिट कार्य” की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18. आवेदकों को **तालिका-4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर अथवा मण्डल में प्रभावी दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।
19. **तालिका-4** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तों आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।
20. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 30 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
21. **रिफण्ड**
- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 - (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 - (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। (मण्डल द्वारा जीएसटी की राशि रिफण्ड नहीं की जावेगी)
 - (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तों देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।
 - (v) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही सीमित होगी।
22. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, पानी, बिजली, पार्किंग, सामुदायिक भवन, लिफ्ट, फायर फायटिंग, रेनवाटर हार्वेटिंग तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस), परिसर की दीवार, बगीचे, खुले स्थान के रख-रखाव एवं

सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की पंजीकृत रेजीडेन्ट वेलफेर सोसायटी का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख—रखाव का सम्पूर्ण खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अप्डर—टेकिंग देने पर ही आवंटी को फ्लेट का कब्जा दिया जावेगा।

23. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख—रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात फ्लेट्स का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लेट के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
24. आवेदकों की वरीयता निर्धारण/फ्लेट्स आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
25. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लेट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लेट पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवंटन पत्र के अनुसार फ्लेट की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फ्लेट की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा फ्लेट का आवंटन व पंजीकरण निरस्त कर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप आवेदक की जमा राशि में से कटौती करते हुये शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। यह पंजीकरण योजना रैरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डल की पंजीकरण योजनाओं में आवेदन करने वाले सफल आवेदकों द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत हो) मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार जब्त की जावेगी।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लेट के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका फ्लेट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:—
- (क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) **अन्य खर्चे :**
- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

- (ii) अन्य विविध खर्चे जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेंगे।
27. मंडल के फ्लेट्स केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लेट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लेट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के आवंटियों की पंजीकृत रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लेट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लेट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, फिटिंग/फिकर्स आदि का कार्य आवासन मण्डल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।
31. आवासन मण्डल अपनी योजना/फ्लेटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टर के स्थान पर अन्य सेक्टर में फ्लेट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मण्डल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद

में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

35. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 354/- (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/-) जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।
36. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
37. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से फ्लेट लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
38. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा-आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से वांछित दस्तावेजों की एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
39. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।
40. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी।

तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

41. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- iii. लॉटरी से जो भी फ्लैट आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमती से आवंटित फ्लैट की अदला-बदली चाहते हैं तो उसकी सहमती दी जा सकेगी।
- iv. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- v. फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लैट का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- vi. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा में ही मान्य होंगे।
- vii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- viii. योजना में नियोजन अनुसार सुविधाओं हेतु भवन का निर्माण मण्डल द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये समस्त सामान की खरीद व उसके रख-रखाव एवं संचालन तथा आवासीय परिसर की सफाई, रख-रखाव एवं संधारण अन्य योजनाओं की भाँति रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जावेगा।
- ix. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर अवलोकन की जा सकती है।

सभी आवेदकों के लिए

शपथ—पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु वर्ष,
जाति निवासी

..... एतद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:—

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास पूर्व में राज्य के शहर में आवासन मण्डल से सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री एवं नीलामी आदि द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या योजना में आवंटित है/आवंटित था।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्य में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री निवासी
..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण—पत्र हेतु शपथ—पत्र

शपथ—पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री आयु.....
जाति निवासी
(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 2021–2022 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी:-
 - अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से
..... रुपये थी ।।
 - ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय
..... रुपये थी ।
 - स. कि वित्तीय वर्ष 2021–2022 में मेरे परिवार की कुल आमदनीरुपये थी ।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति
..... निवासी सत्यनिष्ठा से
घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य हैं मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है ।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(उपरोक्त शपथ—पत्र 50/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
 पुत्र/पत्नी श्रीइस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था
 (विभाग/संस्था का नाम)में.....पद
 पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के
 उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रूपये
प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
 के हस्ताक्षर मय मोहर
 विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
 पुत्र/पत्नी श्रीनिवासी.....जिला

.....संभाग.....राज्यजातिके सदस्य हैं जो
 अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित
 जाति/जनजाति में हैं।

हस्ताक्षर
 तहसीलदार
 (कार्यालय की मोहर सहित)

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम..... जिला,
 अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम)
 नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाण पत्र

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी स्व.
 श्री..... निवासी.....
 ... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए
 विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना
 अनिवार्य है।)

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी जिला
 स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा
 ताम्र—पत्र/प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
 जिलाधीश/उप सचिव/
 सहायक सचिव
 (सामान्य प्रशासन विभाग)
 राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी ने वर्ष
 में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
 राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... क्षेत्र विधानसभा
 क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र
 के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर
 महासचिव/सचिव
 लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
 सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा
 क्षेत्र/राज्यसभा, जिला से सत्र में सदस्य रहे हैं एवं
 भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर
 महासचिव/सचिव
 लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
 सचिवालय

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

MIG-B (3BHK Flats)

- (1) Structure: RCC frame structure
- (2) Walls: Half Brick Masonry in CM 1:4 & Brick masonry walls in CM 1:6
- (3) Finishing:
 - (I) 6mm thick Ceiling Plaster in CM 1:3
 - (II) 12mm thick inner plaster in CM 1:4
 - (III) 20mm thick outer plaster in CM 1:4
 - (IV) POP- Inner side walls and ceiling of flats
 - (V) Emulsion paint on inner surfaces and texture paint on exterior surfaces
 - (VI) UPVC windows/Aluminium windows
 - (VII) 30mm thick flush door shutters
 - (VIII) Wall tiles of size 300x450mm in toilets & Kitchen
 - (IX) Double charge vitrified tile flooring of size 800 ×800mm/600x600mm in flats as per room size requirement.
 - (X) MAT finished tiles floor in balconies, toilet.
 - (XI) Granite/Green Marble- Kitchen Table Counter, Lift face, door sills, common stairs
 - (XII) Kota stone flooring- Fire stairs
- 4. Balcony and M.S. railing in staircases
- 5. Sanitary
 - (i) CPVC pipe fittings

FACILITIES

1. Following features in scheme:-
 - i. Badminton Court
 - ii. Jogging Track
 - iii. Community Hall
 - iv. Gymnasium/Open Gym
 - v. Yoga Room
 - vi. Aerobics Room
 - vii. Indoor Games Room
2. Lawn
3. Security System
4. Plantation
5. 24 hours water supply

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर-5, प्रताप नगर, जयपुर

सैक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "MAHI A APARTMENT"

मध्यम आयवर्ग-ब के बहुमंजिले (2B+S+13) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

आवेदन— पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक

आवेदक/आवेदिका का नवीनतम फोटो
राजपत्रित/
नोटेरी पब्लिक
द्वारा प्रमाणित

1	आवेदक /आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/ श्रीमती.....
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री.....
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली/ पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज.....
6	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक <input type="checkbox"/> अवैतनिक <input type="checkbox"/>
7	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा) दूरभाष नं. मोबाइल नं..... ई—मेल पता.....
8	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 2021–22) पैन नम्बर सहित	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
9	यदि आवेदक पूर्व में पंजीकृत है तो, पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।	
	(क) आय वर्ग, जिसमें पंजीकरण हुआ है।	
	(ख) पंजीकरण का वर्ष	
	(ग) वरीयता क्रमांक :	
10	पंजीकरण राशि रु.	मध्यम आयवर्ग-ब माही अपार्टमेंट
11	बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम दिनांक..... रु.....

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवेदन—पत्र प्रस्ति रसीद

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर-5, प्रताप नगर, जयपुर

सैक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "MAHI A APARTMENT"

मध्यम आयवर्ग-ब के बहुमंजिले (2B+S+13) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

श्री..... से माही अपार्टमेंट आवासीय योजना सैक्टर-23, प्रताप नगर,
सांगानेर, जयपुर हेतु ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन—पत्र मय बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....
..... बैंक का नाम..... शाखा..... का प्राप्त किया।

कार्यालय की मोहर
(नोट: उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करे।)

हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता
नाम व पदनाम की मोहर सहित

12	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैंक संलग्न करेगे:- आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)..... खाता संख्या (सम्पूर्ण)..... ...खाते का प्रकार (बचत / चालू / एन.आर.आई):..... बैंक / शाखा का पता:..... मोबाइल नम्बर.....
13	आवेदक की श्रेणी
13A	आवेदक का कैडर
14	संलग्नक : (अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण—पत्र / मूल निवास प्रमाण—पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (ल) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (व) अन्य वाचिंत प्रमापण पत्र / शपथ पत्र।
15	घोषणा :- 1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। 2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उपका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ। 3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। 4. फ्लेट का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् फ्लेट में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। 5. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:- क्र.सं. नाम आयु संबंध

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान.....
दिनांक

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैकटर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "MAHI APARTMENT" मध्यम आय वर्ग-ब के बहुमंजिले
(2B+S+13) फ्लेट्स के पंजीकरण हेतु

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर
2.	योजना का नाम	:	MAHI APARTMENT (2B+S+13) के फ्लेट्स
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:
4.	आय वर्ग	:	
5.	पत्र व्यवहार का पता	:
6.	बैंक डी.डी. नम्बर, बैंकर चैक व पे—ऑर्डर नम्बर दिनांक	:
7.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दों में)	:	रु0 रुपये

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक

स्थान

आवेदक द्वारा भरा जावें

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत "MAHI APARTMENT" मध्यम आय वर्ग-ब के बहुमंजिले
(2B+S+13) फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण- स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
12.	क्या वार्षिक राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक / सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी / सम्पदा प्रबन्धक

आवेदक द्वारा भरा जावें


राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण हेतु परीक्षण सूची

सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर में

स्वित पोषित योजना के अन्तर्गत "MAHI APARTMENT" मध्यम आय वर्ग-ब के बहुमंजिले
(2B+S+13) फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु

1.	क्रमांक नं. / लोट नम्बर	
2.	आवेदक पत्र क्रमांक	
3.	आवेदक का नाम	
4.	आवेदक के पिता / पति का नाम	
5.	जन्म तिथि	
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण	
	पेनकार्ड नम्बर	
	पासपोर्ट नम्बर	
	ड्राइविंग लाईसेन्स नम्बर	
	वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	स्थाई पत्र व्यवहार का पता	
	दूरभाष नं. व मोबाईल नम्बर	
8.	अस्थाई पत्र व्यवहार का पता	
9.	आय का विवरण	
	स्वयं की आय	
	पत्नी / पति की आय	
	आश्रित की आय	
	कुल आय	
10	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष
	श्रेणी व भुगतान पद्धति	
	वरीयता क्रमांक	
11	श्रेणी	आय वर्ग
12.	भुगतान पद्धति	स्वित पोषित
13.	स्थाई बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, जहाँ पर पंजीकरण राशि असफल होने की स्थिति में वापिस लौटाई जा सके।	
14.	पंजीकरण राशि	रु.
15.	बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम	
16.	उत्तराधिकारी का नाम व विवरण	



S.N.		DATE	DETAILS	SCALE (IN' S.)	CLIENT:	RAJASTHAN HOUSING BOARD
RD				NORTH		
R1						
R2						
R3						
R4				DIN.		
R5				C.D.		
R6				A.P.O.		

GENERAL NOTES

- ALL DIMENSIONS ON THIS DRAWING ARE IN MM.
- ONLY PRETTY DIMENSIONS ARE TO FOLLOWED DRAWING SHOULD NOT BE SCALED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
- ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AND VERIFIED BY THE CONTRACTORS PRIOR TO EXECUTION OF WORK AT THE SITE.
- STRUCTURAL DRAWINGS ARE TO BE FOLLOWED FOR THE LOCATION OF ALL STRUCTURAL ELEMENTS & MASONRY WALLS.
- SANITECTRICAL DRAWINGS ARE TO BE FOLLOWED FOR THE LOCATION OF ALL SANITECTRICAL ELEMENTS & MASONRY WALLS.
- NOTICE OF THE ARCHITECT IMMEDIATELY & PRIOR TO EXECUTION OF WORK, ANY DESIGN CHANGES OR MODIFICATIONS WHICH MAY AFFECT THE EXISTING DRAWINGS.
- ALL MASONRY WALLS SHOULD BE CLAURED WITH THE COLUMN AS INDICATED ON THE PLAN, IRRESPECTIVE OF THE POSITION AS CALCULATED WITH THE LUMBERNOMS.

MIG B UNIT - 3 BHK (SECTOR - 23)

Option No.	GENERAL NOTES		
	SCALE (N.T.S)	CLIENT: RAJASTHAN HOUSING BOARD	PROJECT: NORTH
R0	-	-	DIN. -
R1	-	-	DIN. -
R2	-	-	DIN. -
R3	-	-	DIN. -
R4	-	-	DIN. -
R5	-	-	DIN. -
R6	-	-	DIN. -



Typical Floor Plan

Space Wizard Architects Pvt. Ltd.
Tata House, Jai Vilas Marg, Opp. Sardar Patel Chowk,
Vadodara - 390002, Gujarat, India. +91 9825666511
Email: info@spacewizard.in | Website: www.spacewizard.in

This document is the property of Space Wizard Architects Pvt. Ltd. It shall not be copied or reproduced in whole or in part. It is the sole property of Space Wizard Architects Pvt. Ltd. It is intended for the sole purpose of the concerned project and no part of the document shall be reproduced for any other purpose.

STRUCTURAL CONS.

1. ALL DIMENSION ON THIS DRAWING ARE IN MM.
2. ONLY UNITS DIMENSIONS HAVE TO BE FOLLOWED. DRAWING SHOULD NOT BE SPANNED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
3. ALL UNITS ARE TO BE CONSTRUCTED AS PER THE DRAWINGS.
4. THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONjunction WITH ALL RELEVANT STRUCTURAL, REINFORCING, PLASTERING, MASONRY, DRAWDINGS.
5. ARCHITECTURAL DRAWINGS ARE TO BE FOLLOWED FOR THE LOCATION OF ALL STRUCTURAL MEMBERS & MASONRY WALLS.
6. ANY DISCREPANCIES BETWEEN ARCHITECTURAL & STRUCTURAL DRAWINGS SHALL BE BROUGHT TO THE CONTRACTOR.
7. COORDINATE WITH SERVICES SUCH AS PLUMBING, ELECTRICAL, ETC. THE RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR.
8. ALL MASONRY WALLS ARE TO BE CONSTRUCTED AS PER THE DRAWINGS.
E. AS CALCULATED WITH THE CONTRACTOR.



	PROJECT - Sector 23 Pratap Nagar, Jaipur DESIGNER Typical Floor Plan	ARCHITECTS SPACE WIZARD ARCHITECTS PVT LTD. 9th Floor Tower A, Ajmeri Gate, Sector 23 Jaipur, Rajasthan 302020
1:100	OWNER RHB	ARCHITECT RHB




RAJASTHAN HOUSING BOARD

PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

N

TO JAGATPURA
↑

↓ TO SITAPURA



■ PROPOSED SCHEME



हमारी खुशी का संसार

हमारा अपना घर



राजस्थान आवासन मण्डल

‘आवास भवन’ जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614

E-mail : dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in I Website : www.urban.rajasthan.gov.in/rhb